राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

10 (16)

क्रमांकः प.3(1201)नविवि/3/2012पार्ट   जयपुर, दिनांकः 24.5.18

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढाई गई थी। राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत प्राधिकरण/न्यास द्वारा आवंटित/नीलामी में विक्रय किये भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में निर्माण नहीं होने पर आवंटन निरस्त होने का प्रावधान है। राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय अनुसार विकास प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया जाता है कि निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि लेकर अपने स्तर पर आवंटन को नियमन करने की कार्यवाही करें। उक्त कार्यवाही दिनांक 30.06.2018 तक की जा सकती है।

भवदीय,

24/5/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नविवि।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
8. संयुक्त शासन सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
13. सलाहाकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
16. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
17. रक्षित पत्रावली।

24/5/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम